उपायुक्त एवं जिला मैजिस्ट्रेट, / आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला चम्बा।

Email Id: ddmachamba@gmail.com, **Contact No:** 01899-226950 **Telefax:** 01899-225371

Frequently Asked Questions

जिला चम्बा में कोरोना कर्फ्यू से जुडे प्रशनोत्तर।

कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में

1. कोरोना कर्फ्यू क्यों लगाया गया है ?

✓ कोरोना कर्फ्यू बजारों औरा जिले में भीड़ कम करने के लिए लगाया गया है। कोरोना संक्रमण भीड़ से फैलता हैं और जिले में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कर्फ्यू से सक्रमण कम करने की कोशिश है।

2. भीड़ से क्या अर्थ है ?

✓ कोरोना कर्फ्यू में 05 या उससे अधिक लोगो का एक जगह पर इक्ट्ठा होना भीड़ माना जाएगा।

3. कोरोना कर्फ्यू की अवधि क्या है ?

✓ दिनांक 7 मई, 2021 की सुबह 06:00 से 17 मई, 2021 की सुबह, 06:00 तक जिला चम्बा में कोरोना कर्फ्यू लगा है।

4. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम लोंग क्या–क्या कर सकते है ?

कोरोना कर्फ्यू के दौरानः–

- घर का एक व्यक्ति खुली हुई दुकान से समान खरीदने जा सकता है।
- गुड्स कैरिज चला सकते है।
- कोविड–19 का टेस्ट करवाने या वैक्सीन लगवाने जा सकते है।
- लेबर कंस्ट्रक्शन / निर्माण कार्य करने जा सकते है।
- अपने खेत में काम करने जा सकते हैं या दूध बेचने जा सकते है।
- उद्योग में काम करने जा सकते है।
- दाह संस्कार में जा सकते है (अधिकतम 20 लोग)
- एम्बुलेंस चला सकते हैं या एम्बुलेंस में जा सकते है।
- ज्यादा तबीयत खराब होने पर अस्पताल जा सकते है।

- ATM में कैश भरने या लेने जा सकते है।
- अखबार छाप सकते है और बाँट सकते है
- ऑनलाइन आर्डर और कूरियर बाँट सकते है।
- पेट्रोल पम्प, गैस पम्प/गोडाउन पर काम कर सकते हैं।
- मिलिट्री या पैरा–मिलिट्री ड्यूटी पर जा सकते है।
- जिन दुकानो को खोलने की अनुमति हैं उन्हे निर्धारित समय के हिसाब से खोल सकते है।
- कृषक/ट्रेडर सब्जी मंडी में जा सकते है।
- कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए FCI सेन्टर/गोडाउन पर जा सकते है।
- तेल और गैस उत्पादों, कूडा संग्रहण, टेलिकॉम और इन्टरनेट से जुडी सेवाओं के लिए जा सकते है।
- दुकानों और कोविड टेस्ट करवाने के लिए बस, टैक्सी या ऑटो में 50% कैपेसिटी के साथ जा सकते है।

5. जिला चम्बा में बाजार खुलने का समय और किन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी ?

✓ केवल निम्न दुकाने सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी और बाकी सभी दुकाने बंद रहेंगी।

- उचित मूल्य की दूकान (FPS)
- खाने के सामान से सम्बंधित दुकान
- किरयाना की दुकान
- मांस–मछली की दुकान
- जानवरों के खाने (चार/चरी) की दुकान
- बीज, उर्वरक और कीटनाशक की दुकान
- वाहन के रिपेयर की दुकान
- कृषि उपकरणों के रिपेयर की दुकान
- कूरियर की दुकान
- लोक मित्र केद्र (CSC)
- निर्माण कार्यो के लिए मिलने वाले सामान की दुकान

✓ मेडिकल, कैमीस्ट की दुकान, पेट्रोल पम्प के खुलने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

नोटः– उपरोक्त दिये गयी दुकानो के बाहर और अन्दर 05 से जादा लोग पाये जाते है तो उसकी जिम्मेवारी दुकानदार की होगी। उन व्यक्तियों और दुकानदार पर उचित कार्यवाही की जायेगी तथा दुकान सील भी की जा सकती है।

6. शनिवार और रविवार को बाजार खुलने के क्या नियम रहेंगें ?

- ✓ शनिवार और रविवार को केवल दूध और सब्जियों की दूकान दोपहर 2:00 बज तक खुलेंगी बाकी बाजार बन्द रहेगा।

- ✓ मेडिकल, कैमीस्ट की दुकान, पेट्रोल पम्प के खुलने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

7. क्या कोरोना कर्फ्यू में बाहर निकलने के लिए पास पर्मिट की आवश्यकता है और वो कहॉ से मिलेगा?

- ✓ कोरोना कर्फ्यू के लिए किसी विशेष पास की जरूरत नहीं हैं। अपना कर्मचारी पहचान पत्र, दुकान का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आपके घर से बाहर निकलने का अन्य प्रयोजन का प्रमाण पत्र/दस्तावेज लेकर ही बाहर निकलें। यह दस्तावेज पुलिस द्वारा चेक किये जाएंगे और झूठ पाए जाने पर कर्फ्यू का उल्लंघन का केस दर्ज होगा।

8. नाई/सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानो के लिए क्या नियम हैं ?

- ✓ फिलहाल कर्फ्यू की अवधि में बंद रहेंगी।

9. होटल, ढाबे और रेस्ट्रा के लिए क्या नियम रहेंगे ?

- ✓ होटल, ढाबे और रेस्ट्रा खुले रहेंगे, परन्तु वहॉ पर इक्ट्ठा होकर बैठकर खाने की अनुमति नही होगी।

- ✓ रेस्टोरेंट, ढाबे से होम डिलीवरी या टेक–अवे की सुविधा रहेगी।

10. यदि मैं कर्फ्यू के दौरान प्रतिबन्धित आवाजाही करते पाया जाता हूँ तो क्या परिणाम होगा ?

- ✓ यदि आप कर्फ्यू के नियमों का उलंघन करते पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आपको सरकारी/संस्थागत क्वारंटीन में भी भेजा जा सकता है।

11. क्या जिला चम्बा में बैकं/ATM और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे ?

- ✓ हॉ, सभी बैकं, ATM व पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे और बैंकिंग सुविधा संचालित रहेंगी।

- ✓ अगर आपके बैकं, ATM के बाहर पहले से ही पाँच या उससे अधिक लोग हो रहे है तो आप बाद में जाँए, और भीड़ में शामिल होकर कर्फ्यू का उल्लंघन न करें।

- ✓ बैकं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जा सकते है।

12. क्या बस सेवाए चालू रहेगी ?

- ✓ सरकारी व प्राइवेट बस सेवाए सुचारू रूप से 50% सवारीयों के साथ संचालित होगी।

13. क्या कर्फ्यू में शराब की दुकाने, खुली रहेंगी ?

- ✓ शराब की दुकाने, अहाते और बियर बार इत्यादि पर कर्फ्यू के दौरान **पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।**

14. खेत मे काम करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध है ?

- ✓ नही, कृषि/बागवानी कार्य जैसे खेतों की जूताई, बीजाई, फसल की कटाई इत्यादि पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

15. क्या फसल कटाई के लिए जिले के बाहर से कम्बाइन, इत्यादि मशीनें आ सकती है ?

- ✓ हाँ, कृषि/बागवानी से सम्बन्धित कार्य के लिए जिले के बाहर से मशीनों की आवा–जाही पर कोई रोक नही होगी।

- ✓ राज्य के बाहर से आने पर बॉर्डर पर हिमाचल कोविड ई–पास https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा जो नाकों पर चैक किया जाएगा।

16. क्या उद्योग चल सकते है।

- ✓ हॉ, पर सभी लोग मास्क के साथ काम करेंगें। उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

17. क्या निर्माण कार्य और मनरेगा की परमिशन है ?

- ✓ हॉ, इनके लिए कर्फ्यू में छूट है पर सभी लोग मास्क के साथ काम करेंगें। उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

18. सरकारी दफ्तरों/कार्यालयों के लिए क्या नियम रहेगे ?

- ✓ कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ सरकारी दफ्तर खुले रहेंगें, परन्तु जन–साधारण के आने–जाने पर रोक रहेगी।

19. यदि किसी सरकारी दफ्तर/कार्यालयों में मुझे काम हैं तो मैं क्या करू ?

- ✓ यदि काम आवश्यक नही है तो 17 मई तक इंतजार करें। या फिर ओनलाईन सेवाओं जैसे ई–डिस्टिक इत्यादि का प्रयोग करें। आप अपने काम का व्यौरा कार्यलय के ई–मेल पर भी भेज सकते है।

20. शादी के लए क्या नियम है ?

- ✓ दूल्हा–दूल्हन को मिलाकर कुल 20 लोग ही शामिल हों सकते हैं।
- ✓ शादी से पहले SDM की अनुमति जरूरी होगी।
- ✓ अगर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेष जैसे हाई लोड कोविड–19 राज्यों से लोग शादी के लिए आ रहे है तों वे आने के 72 घंटे पहले के समय में प्राप्त कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएं।
- ✓ शादी का पंजीकरण तभी होगा जब SDM कोविड–19 नियमों का सर्टिफिकेट देगा।

21. दाह संस्कार के लिए क्या नियम है ?

- ✓ दाह संस्कार में कुल 20 लोग शामिल हो सकते है। कोविड–19 से मृत व्यक्ति का दाह संस्कार स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार किया जाएगा।

22. क्या मैं कर्फ्यू में सैर करने जा सकता हूँ क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी जाता था ?

- ✓ नही, अभी घर के अन्दर ही रहें और योग–व्यायाम करें।

23. **क्या हम कर्फ्यू में पार्क में खेल सकते हैं क्योकि हम लाँकडाउन में भी खेलते थें ?**

- ✓ नही, अभी घर के अन्दर ही रहें और योग–व्यायाम करें।

24. **क्या कर्फ्यू में अपने निजी वाहन में बिना कारण घूमने जा सकता हूँ ?**

- ✓ न्ही, पुलिस नाके पर आपके घर से बाहर निकलने सम्बन्धी दस्तावेज मांगे जाएंगे। बिना कारण बाहर घूमने पर आप पर केस दर्ज हो सकता है।

25. कर्फ्यू तोड़ने की सजा क्या है ?

- ✓ कर्फ्यू तोडने पर निम्न पुलिस केस दर्ज होगें।

धारा 51, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005	2 साल जेल
धारा 111 से 114, पुलिस एक्ट 2007	5000 का जुर्माना
धारा 141 से 143, भारतीय दंड संहिता, 1860	6 महीने की जेल
धारा 188, भारतीय दंड संहिता, 1860	6 महीने की जेल

26. किसी दुकान, होटल, ढाबा इत्यादि पर अगर 05 से ज्यादा लोंगों की भीड है तो क्या कार्यवाही होगी।

- ✓ उपर दिये गये प्रावधानों के साथ–साथ इस प्रकार की दुकान, होटल, ढाबा इत्यादि को सील भी किया जाएगा।

27. मेरा घर कंटेनमेंट जोन में है मेरे लिए कोई अलग नियम है ?

- ✓ कंटेनमेंट जोन के अन्दर के क्षेत्र में अलग से प्रतिबन्ध लगेंगे। और उन्हे कोरोना कर्फ्यू के अन्तर्गत मिली छूट का लाभ नही मिलेगा।

28. मेरी हार्डवेयर की दुकान है जो कंटेनमेंट जोन में है क्या मै दूकान खोल सकता हूँ ?

- ✓ नही कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्राकर की दुकान केवल SDM के आदेश पर ही खोली जा सकेगी।

29. मैं <u>सलूणी/भरमौर/तीसा</u> का रहने वाला हूँ। और चम्बा/कांगड़ा उपचार के लिए अपने प्राइवेट वाहन से आना चाहता हुँ। क्या मुझे किसी पास की आवश्यकता है ?

- ✓ कोरोना कर्फ्यू के लिए किसी विशेष पास की जरूरत नहीं हैं। अपना कर्मचारी पहचान पत्र, दुकान का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आपके घर से बाहर निकलने का अन्य प्रयोजन का प्रमाण पत्र/दस्तावेज लेकर ही बाहर निकलें। यह दस्तावेज पुलिस द्वारा चेक किये जाएंगे और झूठ पाए जाने पर कर्फ्यू का उल्लंघन का केस दर्ज होगा।

30. यह प्रश्नोतर पढ़ने के बाद भी मैं शंका में हूँ ?

- ✓ आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में यदि आपको अभी भी शंका है तो 1077 पर कॉल कर अपनी शंका दर्ज कर दें। स्पष्टीकरण मिलने तक घर पर ही रहे।